तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2005/5469/अलवर* *यादराम वगेरह बनाम मुखराम वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/25	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** ––––– **उपस्थित :** श्री सुनील पारीक, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकर्तागण। श्री अविनाश माथुर, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0–1. अप्रार्थी सं0 2 व 3 की तलबी बंद की गई। ––––– **आदेश** 1– यह निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2004, बउनवानी मुखराम बनाम यादराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–26 नियम–9 सीपीसी को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। 2– निगरानी याचिका के अनुसार हस्तगत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अप्रार्थी सं0–1 मुखराम द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया। दौराने विचारण प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–26 नियम–9 सीपीसी पेश कर वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट मंगाने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया, जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनकर आक्षेपित आदेश दिनांक 20–10–2005 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी याचिका मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र में यह अंकित किया था कि वादग्रस्त भूमि 30 वर्षो पहले से बंटी हुई है, जिस पर रिहायशी मकान बनाकर वे काबिज चले आ रहे है। मौका निरीक्षण किये जाने से मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है, जिससे वाद का निस्तारण किये जाने में सहायता प्राप्त होगी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर बंटवारे के दावे में मौका निरीक्षण हेतु कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जाना मानते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि दावे में मौके पर मकान व जमीन पर कौन–कौन से हिस्सेदार काबिज है, इस बाबत रिपोर्ट मंगाये जाने की प्रार्थना की गई थी। उक्त स्थिति को देखते हुए वाद का निस्तारण करने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना आवश्यक था, किन्तु उक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अंत में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 20–10–2005 को अपास्त कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2005/5469/अलवर* *यादराम वगेरह बनाम मुखराम वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश–26 नियम–9 सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। 4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने उक्त कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र की आड़ में विवादित आराजी के कब्जे बाबत् साक्ष्य एकत्रित करना चाहते है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। विवादित भूमि शामलाती भूमि है, जिनके विभाजन हेतु वाद विचारण न्यायालय में पेश हुआ है। कोई मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी को स्वयं अपनी साक्ष्य से सुरक्षा करनी चाहिये। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया गया है। चूंकि निगरानी का दायरा अत्यंत सीमित है तथा आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतएव प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाये। 5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डार (अलवर) के समक्ष वर्तमान अप्रार्थी सं0–1 मुखराम द्वारा ग्राम आमोठ तहसील मुण्डावर स्थित विवादित भूमि खसरा संख्या 161 रकबा 0–28 के बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद विरूद्ध प्रार्थीगण प्रतिवादीगण पेश किया गया। वाद के विचाधीन रहते प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीसीपी पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का 30 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था तथा लालमन ने अपनी भूमि पर रिहाईशी मकान बना रखे है। मौके पर आराजी अबंट नहीं है बल्कि बटी हुई है। वादी ने गलत आधार पर वाद पेश किया है इसलिए मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगाया जाना आवश्यक है। वादी ने इसका जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से मौका रिपोर्ट मंगवाना चाहता है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 20–10–2005 के द्वारा उक्त प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया है कि वाद तकासमा का है तथा बंटवारा में प्रांरभिक डिक्री कायम होने के बाद मौका रिपोर्ट की जांच की जाकर बाद कुर्रेजात अंतिम विभाजन की डिक्री जारी की जानी है। ऐसी स्थिति में दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है और अगर किसी प्रकरण में न्यायालय मौका रिपोर्ट मंगवाना उचित नहीं समझता है तो किसी भी पक्षकार द्वारा एक अधिकार के रूप में मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई जा सकती है। न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त कर किसी पक्ष विशेष की तरफ से साक्ष्य एकत्रित नहीं करनी चाहिये अपितु पक्षकारान को स्वयं अपने स्तर से समुचित साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर अपना पक्ष सिद्ध करना होता है। यदि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है तो वह प्रार्थीगण के लिये साक्ष्य एकत्रित करने का कार्य करेगी, जबकि पक्षकार को अपना प्रकरण स्वयं दस्तावेजी एवं साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करना होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2005/5469/अलवर* *यादराम वगेरह बनाम मुखराम वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से लगाया जाना मानते हुए खारिज किया है, जिसमें कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अतएव प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

6– परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका अंतर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य